## FOR OFFICE USE ONLY केवल कार्यालयीन प्रयोग हेत् Specimen Only: Not Valid for Application Proposal Number SS Customer ID (for existing customer) ग्राहक आईडी वर्तमान ग्राहक के लिए प्रस्ताव संख्या वर्तमान ग्राहक के लिए Adviser Name सलाहकार का नाम Voucher Number Adviser Number सलाहकार की संख्या Life Insurance PROPOSAL DEPOSIT DETAILS Date Cheque/DD No. चैकं / डीडी संख्या Drawn on Amount वसूल किया गया राशि Proposal Form for Aviva Sampoorna Suraksha अविवा संपूर्ण सुरक्षा के प्रस्ताव कि अर्जी The proposer should be satisfied with the details of the product and must pay specific attention to the Key Features brochure of the product. Receipt by the Company of the completed proposal and initial payment does not create any obligation on the part of the Company to underwrite the risk, and the Company shall not be liable until such time it has underwritten the risk and issued the policy. The initial payment must accompany this proposal and may be paid by cash, crossed cheque or demand draft made payable to Aviva Life Insurance Account Proposal Number "......" at the location of the Branch Office or in any other manner as may be approved by the Company. In case of cash deposits, refunds (if any) will be made by cheque only. If the proposer omits to give full and accurate information as required or misrepresents any information, the contract can be cancelled immediately by paying surrender value, if any, subject to misrepresentation being established in accordance with section 45 of Insurance Act,1938. Proof of age is mandatory प्रस्तावक को पॉलिसी के विवरण से सन्तुष्ट होना चाहिए और उसे पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं की विवरणिका में पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्ण किए गए प्रस्ताव की कंपनी द्वारा प्राप्ति तथा आरंभिक भगतान से ,कंपनी की ओर से बीमा कराने की कोई जोखिम की जिम्मेदारी नहीं बनती है,तथा केपनी तब तक जिम्मेदार नहीं होगी जब तक इसने जोखिम का बीमा न करा किया हो तथा पॉलिसी जारी न कर दी हो। इस प्रस्ताव के साथ आरामभिक राशि अवश्य होनी चाहिए और इसे किसी भी शाखा में नकद अथवा अविवा लाइफ इश्योरेंस अकाउंट प्रपोज़ल नंबर ".........." को देय चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य तरीके से जमा किया जा सकता है। नकद राशि जमा किए जाने की स्थिति में, लौटाई जाने वाली राशि (यदि कोई हो) का भुगतान चेक दवारा ही किया जाएगा। अथवा कं पनी दवारा स्वीकृ त अन्य तरीके से। बीमा अधिनियम, 1938, समय-समय पर यथा संशोधित, की धारा 45 के अनुसार, प्रस्तावकर्ता को पूरी और सटीक जानकारी देना आवश्यक है ताकि कंपनी इस प्रस्ताव पर हामीदारी दे सके । आयु का प्रमाण अनिवार्य है। Life to be Insured Details (Please complete in CAPITAL LETTERS ) जीवन, जिसका बीमा किया जाना है, का विवरण कृपया केवल स्पष्ट अक्षरों में मरें Surname उपनाम Forenames पूव नाम Father's/Husband's Name पिता / पति का नाम Mailing Address पत्राचार का पता Village गांव P.O. डाक खाना District जिलां Mandal/Taluka/Town तालुका/मन्डल/ शहर State राज्य पिन कोड Pincode Gender लिंग Male Female Life Insured's Annual Income Rs. Occupation महिला बीमारक्षित व्यक्ति की वार्षिक आय रु. पेशा Marital Status Single वैवाहिक स्थिति अविवाहित Widow(er) Married Divorced Date of Birth जन्म तिथि विधवा (विधुर) तलाकशुदा विवाहित mm уууу Age Proof School Certificate Voter ID/Ration Card Others तिथि माह वर्ष आयु का प्रमाण स्कूल / कॉलेज का प्रमाण पत्र मतदान पहचान पत्र / रेशन कार्ड Policy Details पालिसी का विवरण बीमारक्षित राशि रु. अंकों में) Sum Insured (Rs. in figures) Preferred Mode नकद of Payment Cash चेक Cheque अन्य Others Premium (Rs. in figures) (Min. ₹ 7,500 - Max. ₹ 3,00,000) Draft प्रीमियम भुगतान का वरीय माध्यम न्युनतम रूपये ७५०० अधिकतम – ३००,००० Policy Term (PT) and Premium Payment Term (PPT) PT: 8 years PT: 9 years PPT: 5 years PT: 10 years PT: 15 years PPT: 10 years पॉलिसी का कालावधि (पीटी) और विमा के किश्त का भुगतान टर्म (पीपीटी) PPT: Single PPT: 7 years Premium Payment Frequency Single Half yearly Annually एक प्रीमियम वमा के किश्त कि आवृत्ति वार्षिक Nomination Details नामांकन का ब्यौरा Name of the Nominee (Under section) नामिती का नाम If Nominee is a Minor, please give appointee details below. 39 of the Insurance Act 1938) (यदि नामिती अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति के ब्यौरे नीचे दें) (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के तहत्) Name of the Appointee Relationship to the Life to be Insured नियुक्त व्यक्ति का नाम बीमारक्षित व्यक्ति से संबंध Date of Birth जन्म तिथि Date of Birth जन्म तिथि तिथि dd माह /mm वर्ष /УУУУ तिथि dd माह /mm वर्ष /УУУУ Address पता Address पता Signature of the Appointee नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर

A. Are you in good health?	Yes	s		No
B. Have you ever had a heart condition, a stroke, hypertension, paralysis, cancer, diabetes, kidney disease, liver disease, mental illness, HIV infection or AIDS, high cholesterol, blood disorder, respiratory disorder, and nervous disorder?	Yes Yes	s		] No
C. Are you currently taking any medication or drugs, other than for minor conditions, (eg. colds and flu), either prescribed or not prescribed by a doctor, or have you suffered from any illness, disorder, disability or injury during the past 5 years which has required any form of medical or specialised examination (including chest X-rays, gynaecological investigations, pap smear, or blood tests), consultation, hospitalisation or surgery or physician has not been consulted or treatment received for the same?	Yes	s		] No
D. Any illness that has caused you to be absent from work for a continuous period of 7 days or more in the last 2 years or has your health placed any restrictions on your normal daily activities?	Yes			No
E. Are you currently pregnant? (if applicable)  क्या आप स्वस्थ हैं ?	Yes		<u> </u>	No
क्या आप स्वस्थ ह <i>ं !</i> क्या आपको कभी हृदय संबंधी बीमारी थी, हृदयाघात, अतितनाव, पक्षाघात, कैंसर, मधुमेह, गुर्दे की विफलता, यकृत की विफलता, मानसिक बीमारी, एचआईवी संक्रमण या एड्स  उच्च	∐ हाँ □		<u>_</u> -	
कोलेस्ट्रॉल, रक्त संबंधी व्याधि, श्वांस संबंधी व्याधि तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी व्याधि था ?  केवेस्ट्रॉल, रक्त संबंधी व्याधि, श्वांस संबंधी व्याधि तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी व्याधि था ?  क्या आप फिलहाल छोटी परेशानियों (जैसे सर्दी और पलू) के अलावा किसी डॉक्टर द्वारा बताई गई, या न बताई गई, कोई दवाई या इलाज ले रहे हैं या क्या आप पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी बीमारी,	□ हाँ		<u></u> ਜ	हीं
अक्षमता या चोट से पीड़ित थे जिसके लिए किसी चिकित्सा या विशेष जाँच (सीने का एक्स-रे, स्त्री रोग संबंधी जाँच पड़ताल, पैप स्मियर या खून की जाँच सहित), परामर्श या उपचार लिया गया था  पिछले २ वर्षों में कोई बीमारी जिसके कारण आपको लगातार ७ दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए काम से छुट्टी लेना पड़ा हो या सेहत के कारण आपकी अपनी सामान्य दिनचर्या बाधित हुई हो	□हाँ		্ৰনঃ —	-
विश्व र वर्षा में कोई बामारा जिसके कारण आपका लगातार 7 दिना या उससे आधेक का अवाध के लिए काम से छुट्टा लेना पड़ा हा या सहत के कारण आपका अपना सामान्य दिनचया बाधित हुई हा	□ हाँ □ हाँ		ᆜ <del>ㅋ</del> ¬	-
יייי און אייי און אויי און אויי און אויי אויי	∟ ह।		⊒नः	ह।
b. The statements, declarations and material facts herein shall be the basis of a contract between me and the Company and if any untrue statement, declarations and material facts be contained herein, the Company shall have policy, if issued.  c. Should there be any change in any statements, declarations and material facts made in the Proposal Form from the time of my submission of the proposal to the Company, till the time the Company has underwritten the risk and is forth with inform the Company in writing, falling which the Company may cancell the policy, if issued.  d. If any future premium of other payments due to the Company are made by me through an adviser, then the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company within the time the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company within the time the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company within the time the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company within the time the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company within the time the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company within the time the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company within the time the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company shall not be liable unless the amounts are received and realised by the Company shall not be liable unless the mounts are received and realised by the Company shall not be liable unless the mounts are received and realised by the Company shall not be liable unless the amounts are	ssued the postipulates for about my help a language.	oolicy, for rec health and n ical re	y, Ish ceipt h, me non-I egist	nall t of edical life ter,
ॉलिसी,यदि जारी की गई हो,को रदद करने का अधिकार होगा और मुझे इस संबंध में मेरे दवारा किए गए भुगतान से वंचित किया जा सकता है। (ख) इसमें दिये गए बयान ,घोषणाएं और महत् वपूर्ण तथ्यों मे परिवरतन के कोई भी अथवा सभी जानकारी , कंपनी को लिखित में सचित करना अनिवार्य है वरना ,तो क पनी का जारों की गई हो,को रदद करने का अधिकार होगा और मझ इस संबंध में मरे दवारा किए गए भुगतान से वंचित किया जा सकता है। घ)यदि कं पनी को देय किसी भावी परीमियम अथवा राशियों का भुगतान मेरे दवारा किसी सलहकार के जिये किया जाता है ,तो कं पनी तब तक जिम् मेदार नहीं होगी जब तक अमय सीमा के भीतर कंपनी दवारा पराप्त और वसूल नहीं कर ली जाती है,जिसे कं पनी अपने दवारा अपने भुगतानों को स्वीकार करने के लिए निर्धारित करती है। (इ) मैं पुषि किरता हूँ कि मेरे वयक्तिगत विवरणों को किसी भी मेडिकल परैकटीशनर,अस्पताल एवं कलीनिक,नियोक्ता,संस्था अथवा किसी अन्य वयक्ति अथवा वयक्तियों जिन स्वास्थ्य,पूरवा चिकित सा विवरण और अस्पताल में भर्ती होने ,सलाह,रोग-निदान,उपचार,रोग अथवा बीमारी के बारे में कोई भी अथवा सभी जानकारी हो,अथवा अविवा लाइ की सांस्थ प्रस्ता के तहत तथा उसके बाद किसी समय, जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए, मैं / इम एतद्द्वारा अपने विगत व वर्तमान के नियोक्ता (नियोक्ताओं) / कारोबारी सहयोगियों, अपने चिकित्सक / अस्पताल / चिकित्सा चोत / अपनी जीवन तथा जीवन-इतर बीमा कंपनी / या जीवन बीमा एसोसिएशन या चिकित्सा रिजस्टर, प्रता के किए प्राधिकृत करने वाले व्यक्तियों, विधिक, विकित्सा—विधिक पेशेवरों, कंपनी द्वारा प्रवालात्मक समर्थन प्रदान के लिए नियुक्त तृतीय पक्षकार के सेवा प्रदाताओं इस बात के लिए प्राधिकृत करता / करती हूँ कि अवीवा लाइफ इंग्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित प्रचार सामग्री के उद्देश्य से मेरे / हमारे नियोज्ज / कारोबार के ऐसे अमिलेख या मेरे / हमारे नियोज्ज / कारोबार के ऐसे अमिलेख या मेरे / हमारे वारे में संगत मानी गई जानकारी प्राप्त कर सकती है औ उसका इस्तेमाल कर सकती है ।	कि रशि के पास ग	यन मेरे	उस	<b>T</b>
दिनांक Date  Signature/Thumb impression of Life to be Insured बीमा रक्षा किए जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर*/अंगूठे की छाप*				
ernacular Declaration (to be handwritten by the life to be insured/proposer) देशी भाषा में घोषणा (बीमारक्षित व्यक्ति / प्रस्तावकर्ता द्वारा लाथ से लिखा जाना है)				
The Life to be insured / proposer should fill in the following declaration in the box given below:  I/we hereby declare that the contents of this application for insurance, have been fully explained to me/us & I/we have fully understood the significance of the proposed contract	t."			
बीमारक्षित व्यक्ति 🖊 प्रस्तावकर्त्ता को नीचे दिए गए बॉक्स में निम्नलिखित घोषणा भरनी होगी —	π है ।			

## बीमा अधिनियम 1938 के तहत धारा 41 और 45 Section 41 & 45 of Insurance Act 1938

41. (1) No person shall allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person to take or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the published prospectuses or tables of the insurer:

Provided that acceptance by an insurance agent of commission in connection with a policy of life insurance taken out by himself on his own life shall not be deemed to be acceptance of a rebate of premium within the meaning of this sub-section if at the time of such acceptance the insurance agent satisfies the prescribed conditions establishing that he is a bona fide insurance agent employed by the insurer.

- (2) Any person making default in complying with the provisions of this section shall be liable for a penalty which may extend to ten lakh rupees.
- 41 (1) कोई भी व्यक्ति, या तो सीधे या परोक्ष रूप से, किसी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपित से संबंधित जोखिम के बीमा की नावीनीकरण या जारी रखने के लिये प्रलोभन के रूप आढ़त का पूरा या भाग, या पालिसी पर दिखाई गई प्रीमियम पर छूट देने की अनुमित या अनुमित देने का प्रस्ताव नहीं दे सकता, न ही कोई व्यक्ति जो पालिसी निकाल रहा है या नवीनीकरण कर रहा है या जारी रख रहा है ऐसी छूट ले सकता है, सिवाय के ऐसी किसी छूट के जो बीमा कम्पनी के प्रकाशित सूचीपत्रो या तालिकाओं के अनुसार हो।

परन्तु बीमा एजेंट द्धारा अपने ही जीवन पर निकाली गई पालिसी के आढ़त की स्वीकृति को इस उपधारा के अर्थ में प्रीमियम की छूट नहीं समझा जायेगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा ऐजेंट कम्पनी द्धारा नियोजित शर्तों के अनुसार कम्पनी का सदाशायी बीमा ऐजेंट है।

- (2) इस अनुच्छेद के प्रावधानो का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लग सकता है, जो कि दस लाख रूपयों तक हो सकता है।
- 45. (1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e., from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
- (2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the mis-statement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such mis-statement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud, the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

For a complete text of Section 45 please refer to Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

- 45 (1) जीवन बीमा नीति के किसी भी नीति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्न बिमा पालिसी की दिनांक से तीन वर्ष बाद किसी भी स्थिती में नहीं उठाया जाएगा, अर्थात, पालिसी के निर्गत होने की तिथि से या जोखिम की प्रारम्भ की तिथि से या नीति के पुनरुध्दार की तिथि से, या पालिसी के अनुवृध्दी के दिनांक से, जो भी बाद में हो।
- (2) जीवन बीमा नीति के किसी भी नीति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्न बीमा पालिसी की दिनांक से तीन वर्ष के अंदर उठाया जा सकेगा अर्थात, पालिसी के निर्गत होने की तिथि से या जोखिम की प्रारम्भ की तिथि से या नीति के पुरुध्दर की तिथि से, या पालिसी के अनुवृध्दी के दिनांक से, जो भी पहले हो।

बशर्ते की, बीमा कंपनी लिखित में बीमाकृत व्यक्ति या बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि, प्रत्याशियों या समनुदेशिती को उक्त निर्णय के आधार एवं कारण से अवगत कराये।

- (3) उप–धारा (२) में किसी बात के होते हुए, कोई बीमा कंपनी किसी जीवन बीमा पालिसी को धोखाधडी के आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता, यदि बीमा कृत व्यक्ति यह सिद्ध कर सके की अशुद्ध वर्णन या किसी तथ्य का दमन उसके जानकारी में सत्य एवं सही नहीं है व जान बूझकर किसी तथ्य को छिपाने की उसकी कोई मंशा नहीं है या अशुद्ध वर्णन या किसी तथ्य का दमन जानकारी में नहीं है।
- (4) जीवन बीमा नीति के किसी भी नीति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्न बीमा पालिसी की दिनांक से तीन वर्ष के अंदर उठाया जा सकेगा अर्थात, पालिसी के निर्गत होनी के तिथि से या जोखिम की प्रारम्भ की तिथि से या नीति के पुनरुध्दार की तिथि से, या पालिसी के अनुवृध्दी के दिनांक से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर की आयु—संभाविता के सम्बन्ध में किये गए कोई कथन या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का दमन असत्य रूप से प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेजों में किये गए, जिसपर की पालिसी जारी की गयी या पुनरुध्दार किया गया या राइडर जारी की गयी।

बशर्ते की, बीमा कंपनी लिखित में बीमाकृत व्यकित या बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि, प्रत्याशियों या समनुदेशिती को जीवन बीमा पालिसी के अस्वीकार करने से सम्बन्धित आधारो एवं कारणों से अवगत कराये।

आगे, बशर्ते की, किसी भी पालिसी को धोखाधडी के आधार पर नहीं, अपितु अशुद्ध वर्णन या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के दमन के आधार पर अस्वीकार करने की दशा में, जो भी प्रीमियम पालिसी में पालिसी के अस्वीकार किये जाने के दिनांक तक एकत्रित किये गए है, को बीमाकृत व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधि या प्रत्याशी या समनुदेशिति को अस्वीकृत करने की तिथि से ६० दिन के भीतर वापस करना होगा।

(5) इस उप–धारा में ऐसी कोई बात बीमा कंपनी, जो की आयु प्रमाण मांगने की पात्र हो, को आयु प्रमाण किसी भी समय मांगने से प्रतिबंधित नहीं करती है एवं किसी भी पालिसी पर संदेह केवल इस आधार पर करना की पालिसी के शर्ते अनुवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गयी है कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में असत्य बताया गया है।

धारा 45 के सम्पूर्ण मूलपाठ के लिये समय समय पर संशोधित (बीमा अधिनियम, 1938) को पढे।

## Declaration by the person filling in the form (in case of signature in vernacular language, thumb impression and/or in case the proposal has

not been filled in by the proposer). फार्म भरने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा (यदि इस्तक्षर देशी भाषा में किया गया है, अंगूठे की छाप लगाई गई है, तथा / या यदि प्रस्ताव प्रस्तावक द्वारा नहीं भरा गया है)

I hereby declare that I have fully explained the contents of recorded the answers given by the life to be insured/propo Declarant's* Name and Address में एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने बीमा रक्षा किए जाने वाले बीमा रक्षा किए जाने वाले व्यक्ति / प्रस्तावक द्वारा दिए गए उत्तरों को सत घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर	ser.' प्रस्तावक को नए प्लान के बारे में पूरी तरह समझा दिया है और	nat he/she has fully understood the same and I have truthfully यह कि उसने इसे अच्छी तरह समझ लिया है और मैंने	
पिन कोड Pincode	Signature of declarant* बीमा रक्षा किए जाने वाले व्यक्ति / प्रस्तावक के हस्ताक्षर	Signature of Adviser सलाहकार के हस्ताक्षर	
		established, but unconnected with Aviva Life Insurance Company India Ltd. ाकती है लेकिन जो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लि. से जुड़ा न हो ।	

(For office use only) केवल कार्यालयीन प्रयोग हेत्

CUSTOMER INF	ORMATION REPORT ग्राहक सूर	चना रिपोर्ट	
			पहला व्यक्ति First Life
Did you personally mee	et the life to be insured? क्या आपने बीमारक्षित व्यक्ति	क्ते से निजी तौर पर मुलाकात की	YES NO ši nfi
<ol> <li>What proof of identity h आपने बीमारक्षित व्यक्ति की पहचा</li> </ol>	ave you seen of the Life Insured? न पत्र का कौन सा प्रमाण देखा		
Driving License ड्राइविंग लाइसेंस	Voter ID Card मतदान पहचान पत्र	Others please specify अन्य उल्लेख करें	YES NO नहीं नहीं
3. Are you satisfied with the क्या आप डीजीएच भाग सहित, प्र	responses given by the proposer on proposal स्ताव फार्म पर प्रस्तावकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट हैं?	form including the DGH section?	YES NO THE
	ou satisfied with the income declaration ma f income have you checked? क्या आप बीमारक्षि रूप किस प्रमाण की जाँच की गई?		YES NO नहीं
Income Tax Return आय कर विवरणी	Form 16 Property/Land Holding फार्म 16 संपत्ति / पूर्ण स्वामित्व के		
that you feel the under क्या बीमित व्यक्ति के पेशे जीवन	vriter should be aware of?	inancial or social position or other circumstances ाप ऐसी कोई बात महसूस करते हैं जिसे हामीदार को बताना चाहिए?	YES NO ří réť
6. Is the nominee depend	lent of the proposer? If No,please give deta	ails क्या नामिती प्रस्तावकर्ता पर आश्रित है? यदि नहीं, तो कृपया ब्यौरा ब	बताएँ YES NO होँ नहीं
a. Give details of the ir	surable interest that exist between the pro	oposer and the nominee. प्रस्तायकर्ता और नामिती के बीच विद्य	मान बीमा योग्य हितों के विवरण दें ।
			Signature of Adviser
Adviser Name सलाहकार का न	· · ·	Date ग <i>तारीख</i>	Signature of Adviser सलाहकार के हस्ताक्षर

I hereby declare that the foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

A Joint Venture between Dabur Invest Corp and Aviva International Holdings Limited

Aviva Life Insurance Company India Ltd. Aviva Tower Sector Road Opp Golf Course DLF Phase V Sector 43 Gurgaon-122003 Haryana India
Tel. + 91 (0)124 270 9000 Fax +91(0)124 257 1209

www.avivaindia.com

Projectored Office: 2nd floor Projectored Publisher 7 Toleton Mars New Delhi 140004 India

Registered Office: 2nd floor Prakashdeep Building 7 Tolstoy Marg New Delhi 110001 India.